राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/20/ 6753 दिनांकः 7/4/22

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित भूखण्ड /भवनो की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एकमुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट विभागीय आदेश दिनांक 31.05.2021 के द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि तक के लिए छूट प्रदान की गई थी। प्रशासन शहरो के संग अभियान से संबंधित नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/मं.मं.ज्ञा.दिनांक 28.09.2021 के परिशिष्ठ–2 में अभियान अवधि में छूट दी गई थी। अतः समस्त नगरीय निकायों में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट अभियान अवधि दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ाई जाती है।

पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/20/ 6754–7210 दिनांकः 7/4/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अधिकारी निदेशालय।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. अधीक्षक, केद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी